झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक-18.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री कमलेश कुमार सिंह स0वि0स0	पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड सहित कई प्रखंडों में 15वें वित्त की राशि से पंचायत समिति सदस्यों के माध्यम से पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कराया गया लेकिन राशि विमुक्त नहीं कराई गई है तथा हैदरनगर प्रखंड सहित कई प्रखंडों में 15वीं वित्त की राशि से कोई कार्य प्रारंभ नहीं कराए गए हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि पलामू जिला अन्तर्गत जिन प्रखंडों में 15वीं वित्त की राशि से कार्य कराए गए हैं वहाँ राशि विमुक्त की जाय तथा जिन प्रखंडों में कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं वहाँ कार्य प्रारंभ कराया जाय।	ग्रामीण विकास
02-	श्रीमती सीता मुर्मू स0वि0स0	ग्रामीण विकास विभाग के अधिसूचना सं0-01स्था0 (वि0)- 110/2018-395, दिनांक- 19.02.2021 द्वारा कनीय अभियंता के 526 एवं लेखा लिपिक सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के 869 पद हेतु अधिसूचना में अनुभव के रूप में अंको का निर्धारण किया गया है।	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
		जिसमें अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में केवल 14th Fe में कार्य कर चूके कर्मियों का ही अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होगा, जबकि अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में कार्य कर रहे/कर चूके व्यक्तियों का प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया गया है। परीक्षा शुल्क के रूप में प्रति अभ्यार्थी 500/-रू0 (UR) एवं 300/-रू0 (ST/SC) है, जबकि JPSC द्वारा इससे उच्चतर एवं स्थायी पदों हेतु 100/-रू (UR) एवं 50/-रू0(ST/SC) ही लिया जाता है। अतः 14th Fe में कार्य कर चूके कर्मियों के अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ अन्य सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं में कार्य कर चूके कर्मियों का भी अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य हो, एवं आवेदन शुल्क भी JPSC की भाँति 100/-रू (UR) एवं 50/- रू0 (ST/SC) हो। इस ओर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ।	
03-	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता स0वि0स0 श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0 श्री भानु प्रताप शाही स0वि0स0	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) राँची, द्वारा विज्ञापन संख्या- 21/2016 द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसमें कुल 26 विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी। विज्ञापन प्रकाशन के चार वर्ष के काल में अधिकांशतः विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण हो गई, परन्तु गैर अनुसूचित 11 जिलों के इतिहास-नागरिकशास्त्र विषय के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई है। जिसके कारण इसका सीधा असर इन जिले के शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है एवं योग्य तथा पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी अभ्यर्थी नियुक्त नहीं हो पाए हैं। ज्ञात हो कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		विभाग के पत्रांक- 5974, दिनांक- 23.11.2020 के द्वारा विद्वान महाधिवक्ता का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और प्रासंगिक विषय की परीक्षा में गैर अनुसूचित जिले के परीक्षाफल प्रकाशन में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है, परन्तु महाधिवक्ता के परामर्श के बाद भी इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पाँच माह बीत जाने के बाद भी अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यंत लोकहित के विषय पर आकृष्ट कराना चाहते हैं।	
04-	श्री आलोक कुमार चौरसिया स0वि0स0 श्री नारायण दास स0वि0स0	पलामू जिला के सतबरवा प्रखण्ड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण यहाँ के छात्रों को अधिक संख्या में बाहर शिक्षण कार्य करने हेतु जाना पड़ता है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भार पड़ता है तथा गरीब उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करते है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए पलामू के सतबरवा प्रखण्ड में यथाशीघ्र डिग्री कॉलेज की स्थापना कि जाए ताकि बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
05-	श्री किशुन कुमार दास स0वि0स0	"विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कैंपस में एम0एड0 पाठ्यक्रम की पढ़ाई वर्ष 2009 से हो रही है। इस विश्वविद्यालय अन्तर्गत पाठ्यक्रम में छात्र-छात्राओं को एक साथ शैक्षणिक व्यवस्था दी जा रही है। इसमें शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को स्ववित्त पोषित विभाग होने के कारण विद्यार्थियों पर नामांकन एवं अन्य शिक्षण शुल्क का अधिक बोझ पड़ता है। साथ ही इस पाठ्यक्रम के नामांकित विद्यार्थियों में अधिकांशतः महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के हैं। स्ववित्त पोषित होने के कारण यहाँ कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतनादि कम मिलतें हैं, जिस कारण विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

01.	02.	03.	04.
		अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि उक्त विश्वविद्यालय अन्तर्गत वर्णित पाठ्यक्रम हेतु घाटानुदान/अनुदान अथवा सरकारीकरण की जाय, जिस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 18 मार्च, 2021 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-03/2021-1407/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/3/21

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ ग्रामीण विकास विभाग/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/03/21

(विष्णु पासवान)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0ध्या0-03/2021-1407/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/3/21

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

17/03/21

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

17/03/2021